



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plex/Cir/363

दिनांक: 03.08.2026

Plexconcil/COA के सभी सदस्यों को

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: इनपुट्स के संबंध में: पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (आईडीएस) के मुद्दे।

हम बताना चाहते हैं कि Plexconcil को डिपार्टमेंट ऑफ़ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ़ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया से एक कम्युनिकेशन मिला है। इसमें पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक वैल्यू चेन पर अभी असर डाल रहे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (IDS) के बारे में इंडस्ट्री का फीडबैक इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। डिपार्टमेंट बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) और GST फ्रेमवर्क का एक पूरा रिव्यू शुरू कर रहा है ताकि ड्यूटी इनवर्जन के ऐसे मामलों की पहचान की जा सके जिनमें रेशनलाइजेशन या रिवीजन की ज़रूरत हो सकती है।

इस मामले में, मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वे हर पहचाने गए Raw Material और Finished Product की जानकारी/डिटेल्स नीचे दिए गए फ़ॉर्मेट में दें।

एस. नं.	प्रोडक्ट का नाम	एचएस कोड (तैयार उत्पाद)	एचएस कोड (मुख्य इनपुट/कच्चा माल)	मूल सीमा शुल्क (तैयार उत्पाद)	मूल सीमा शुल्क (इनपुट)	व्युत्क्रमण की प्रकृति (शुल्क/जीएसटी)
1						
2						

कृपया अपने इनपुट/जवाब bharti@plexconcil.org और shilpa@plexconcil.org पर 05.08.2026 तक भेजें।

सम्मान

भारती परावे

उप निदेशक (व्यापार और नीति)

प्लेक्सकौन्सिल